

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
 लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2016
 पीठसलीन अधिकारी

14/5

रामगढ़-शेखावाटी को भूजकर रवेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
 लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2016
 पीठसलीन अधिकारी

1/05/18
 03C

आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जा राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	खाला संख्या	ग्राम
रामगढ़-शेखावाटी	रामगढ़-शेखावाटी	112	रामगढ़-शेखावाटी

—: आदेश :-
 खाला वृजस्ती प्रार्थना पर एवं पटवारी रामगढ़ व भूअभि रामगढ़ की रिपोर्ट तथा
 रामगढ़-शेखावाटी की अर्जशासा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के
 म रामगढ़ व जिला सीकर की जमाबन्दी
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को
 में खाला संख्या 112
 से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-